

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 642 / 71-1-2021-जी-103 / 2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021
विज्ञापित / नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, ई0एन0टी0 विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या: 18/10/डी0आर0/सेवा-8/2019-20 दिनांक 08.01.2021 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 08 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्द्री पे-रू0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
 - (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे:-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न हों तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न हों अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न हों के संबंध में शपथपत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न हों के प्रमाण पत्र।
- 3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- जिन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

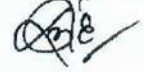
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: उपरोक्त तदुदिनॉक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, अम्बेडकरनगर, मेरठ, बदायूँ एवं कन्नौज।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, अम्बेडकरनगर, मेरठ, बदायूँ एवं कन्नौज।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, अम्बेडकरनगर, मेरठ, बदायूँ एवं कन्नौज।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एस०पी०सिंह)

अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:एम०ई०-२/२०२१/१२७५-७६

लखनऊ : दिनांक २० अप्रैल, २०२१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, अम्बेडकरनगर, मेरठ, बदायूँ एवं कन्नौज।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।

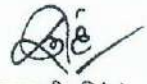


(के०के०मुस्ता)

महानिदेशक

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 642 / 71-1-2021-जी-103 / 2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम / रजि० नं० / श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा० प्रभात श्रीवास्तव पुत्र श्री कौशल कुमार श्रीवास्तव (रजि० नं० 53200031361) अनारक्षित	23/बी०-2 II फ्लोर अश्वनी अपार्टमेंट सी०वाई० चिन्तामनी रोड, प्रयागराज	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर
2	डा० संकल्प केसरी पुत्र सतीश चन्द्र केसरी (रजि० नं० 53200020037) अनारक्षित	597 नई बस्ती त्रिवेणी रोड, कीडगंज, प्रयागराज	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर
3	डा० शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बजरंग बहादुर सिंह (रजि० नं० 53200011889) अनारक्षित	191 आदर्शपुरम कालोनी देवकाली जनपद-अयोध्या - 224001	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
4	डा० निकुंज जैन पुत्र श्री दिनेश कुमार जैन (रजि० नं० 53200013435) अनारक्षित	आर०-6/108 राज नगर, गाजियाबाद-201002	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ
5	डा० विशाखा गुप्ता पुत्री श्री बृजेश कुमार गुप्ता (रजि० नं० 53200033429) अनारक्षित	118/24 झण्डा चौक सदर बाजार, मुरैना, मध्य प्रदेश - 476001	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ
6	डा० चन्द्रभान पुत्र श्याम कन्हैया प्रजापति (रजि० नं० 53200011695) ओ०बी०सी०	फ्लैट नं०-3 सी० ब्लॉक टाईप-3 एम०आर०ए० मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर-224190	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
7	डा० दीप्ति सिंह पुत्री श्री वीर सिंह (रजि० नं० 53200040448) अनु० जाति	पता-694/7 जागृति बिहार, मेरठ	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ
8	डा० सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्रीश्याम नारायण शर्मा (रजि० नं० 53200014966) ओ०बी०सी०	ग्राम व पोस्ट गोसैसिंहपुर जिला सुलतानपुर-228131	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज


(एस०पी० सिंह)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 640/71-1-2021-जी-103/2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021
विज्ञप्ति/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में एपीडेमोलोजिस्ट कम सहायक आचार्य विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के पत्र संख्या: 29/21/डी०आर०/सेवा-8/2019-20, दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 05 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू० 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
 - (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अंतर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे:-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न हों तथा मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन न हों अथवा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न हों के संबंध में शपथपत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
- 3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- जिन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

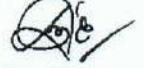
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: उपरोक्त तदुद्दिष्ट

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, जालौन एवं कन्नौज।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, जालौन एवं कन्नौज।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, जालौन एवं कन्नौज।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एस०पी०सिंह)

अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या: एम०ई०-२/२०२१/१२७९-८०

लखनऊ : दिनांक २० अप्रैल, २०२१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, जालौन एवं कन्नौज।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।



(के०के०गुप्ता)

महानिदेशक

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 640 /71-1-2021-जी-103/2018

लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

क. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम /रजि0नं0/ श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा0 हिमालय सिंह पुत्र श्री रामबाबू सिंह (रजि0नं0 53200005755) अनारक्षित	19 ए0 अयोध्या कुँज, खिरिया रोड़, आगरा-282001	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा
2	डा0 नेहा प्रियंका पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता (रजि0नं0 53200017538) अनारक्षित	रूम नं0-209 लोअर-7 जेमिनी पैराडाइज, मुगलहा, गोरखपुर	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
3	डा0 कल्पना कुमारी पत्नी डा0 अरुण कुमार सिंह (रजि0नं0 53200043524) अनारक्षित	हरहुवा बाजार पोस्ट हरहुआ जिला वाराणसी-221105	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज
4	डा0 भावना जैन पुत्री श्री सुशील जैन (रजि0नं0 53200027748) अनारक्षित	2/1414 दिल्ली रोड़, सहारनपुर-247001	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
5	डा0 अभिषेक कुमार पुत्र श्री राज किशोर वर्मा (रजि0नं0 53200005083) ओ0बी0सी0	ग्राम-ठाकुर खेड़ा पोस्ट आफिस पास खेड़ा तहसील-पुरुवा, उन्नाव-209827	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज


(एस0पी0सिंह)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 637/71-1-2021-जी-103/2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021
विज्ञापि/नियुक्ति

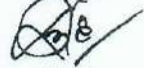
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, फोरेंसिक मेडिसिन विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के पत्र संख्या: 22(11)/14/डी०आर०/सेवा-8/2019-20 दिनांक 15.10.2020 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 01 अभ्यर्थी को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू० 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
 - (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे:-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न हों तथा मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन न हों अथवा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न हों के संबंध में शपथपत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न हों का प्रमाण पत्र।
- 3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राप्ति सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- जिन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: उपरोक्त तदुद्दिर्नॉक

- प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
 2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज।
 3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
 4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
 5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
 6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
 7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
 8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
 9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
संख्या:एम0ई0-2/2021/1285-86 लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।


(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 637 / 71-1-2021-जी-103 / 2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम / रजि० नं० / श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा० मितुन घोष पुत्र श्री एन० सी० घोष (रजि० नं० 53200000112) अनारक्षित	टाईप-IV/09 नार्थ स्टेट आर्डीनेन्स फ़ैक्ट्री, मुरादनगर, गाजियाबाद, उ० प्र० पिन-201206	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ


(एस० पी० सिंह)
अनु सचिव

विज्ञप्ति/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, सामान्य मेडिसिन विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के पत्र संख्या: 16/08/डी०आर०/सेवा-8/2019-20 दिनांक 15.01.2021, पत्र संख्या 16(1)/08/डी०आर०/सेवा-8/2019-20, दिनांक 30.01.2021 एवं पत्र संख्या 16(2)/08/डी०आर०/सेवा-8/2019-20, दिनांक 23.02.2021 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 22 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू० 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
 - (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2-- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे:-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न होने तथा मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथपत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
- 3-- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4-- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5-- जिन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, आजमगढ़, कानपुर, अम्बेडकरनगर, बौदा, प्रयागराज, कन्नौज, झाँसी एवं मेरठ।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर, आजमगढ़, कानपुर, अम्बेडकरनगर, बौदा, प्रयागराज, कन्नौज, झाँसी एवं मेरठ।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, आजमगढ़, कानपुर, अम्बेडकरनगर, बौदा, प्रयागराज, कन्नौज, झाँसी एवं मेरठ।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एस०पी०सिंह)

अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:एम०ई०-२/२०२१/१२६७-६४

लखनऊ : दिनांक २० अप्रैल, २०२१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, आजमगढ़, कानपुर, अम्बेडकरनगर, बौदा, प्रयागराज, कन्नौज, झाँसी एवं मेरठ।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।

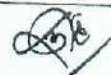


(के०के०गुप्ता)

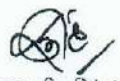
महानिदेशक

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 632/71-1-2021-जी-103/2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम /रजि०नं०/ श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा० विजय कुमार राय पुत्र श्री गंगाधर राय (रजि०नं० 53200016478) अनारक्षित	ग्राम व पोस्ट-सूरजपुर जिला मऊ-276306	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर
2	डा० अंकित कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री गणेश दत्त चतुर्वेदी (रजि०नं० 53200003225) अनारक्षित	159/के० राय जय नारायण कालोनी रामेश्वर पुरी बस्ती	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
3	डा० महक लाम्बा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार लाम्बा (रजि०नं० 53200036889) अनारक्षित	बी०-401 एन०आर०आई० रेजीडेन्सी, ओमेगा-2 ग्रेटर नोएडा, उ०प्र०-201308	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर
4	डा० प्रत्यूष कुमार पुत्र श्री गोपाल कृष्ण शर्मा (रजि०नं० 53200041386) अनारक्षित	569/के०/108/2 रनेहनगर, आलमबाग, लखनऊ-226005	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर
5	डा० बेचन कुमार गौतम पुत्र श्री मुख लाल (रजि०नं० 53200007285) अनारक्षित	ग्राम-महाराजपुर पोस्ट बभनी जिला देवरिया-274001	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर
6	डा० अभिषेक कुमार मिश्रा पुत्र श्री रत्नाकर मिश्रा (रजि०नं० 53200010076) अनारक्षित	ए०डी०आर० होम्स हाउस नं०-1 ग्राम-धौवा देवारोड़, चिनहट, लखनऊ-226028	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
7	डा० शैलेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री राम अवतार यादव (रजि०नं० 53200010526) अनारक्षित	गाँधी इन्टर कालेज के निकट मऊदहा रागौल, हमीरपुर	राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा
8	डा० महेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व० श्री आर० के० वर्मा (रजि०नं० 53200022691) अनारक्षित	ग्राम रईसपुर पोस्ट ज्योन्ता जिला फरुखाबाद	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर
9	डा० जितेन्द्र शुक्ल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल (रजि०नं० 53200014896) अनारक्षित	यू०जी०-303 कैलाश अपार्टमेंट 284 जे०एल०एन० रोड़ टैगोर टाऊन प्रयागराज	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज
10	डा० आशुतोष पाठक पुत्र श्री आर० एन० पाठक (रजि०नं० 53200022956) अनारक्षित	प्रयाग नर्सिंग होम, बस स्टैंड के पास फूलपुर प्रयागराज-212402	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज
11	डा० अल्पिका शुक्ला पत्नी श्री अमित पाण्डेय (रजि०नं० 53200008017) अनारक्षित	2/66 वास्तु खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226003	कानपुर



क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम /रजि०नं०/ श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
12	डा० संजय कुमार यादव पुत्र श्री राम प्रसन्न यादव (रजि०नं० 53200010659) ओ०बी०सी०	ग्राम-नवकागाँव पोस्ट-ढैचापारा जनपद-बलिया-277205	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
13	डा० राजीव वर्मा पुत्र श्री रमाशंकर वर्मा (रजि०नं० 53200013231) ओ०बी०सी०	वार्ड नं०-9 गुरुद्वारा मार्ग स्टेशन रोड, रसड़ा, बलिया- 221712	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
14	डा० आनन्द सिंह पुत्र श्री श्याम शंकर सिंह (रजि०नं० 53200007522) ओ०बी०सी०	सी०-33/158 बी०-2 चन्दुआ चित्तपुर वाराणसी, उ०प्र०-221002	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
15	डा० उपेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र कन्हैया लाल (रजि०नं० 53200029375) अनु० जाति	344 कौशलपुरी कालोनी, खरगापुर, गोमतीनगर, लखनऊ 226010	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
16	डा० अजीत सिंह निरंजन पुत्र रवीन्द्र सिंह निरंजन (रजि०नं० 53200010419) ओ०बी०सी०	फ्लैट नं०-004 टावर -11 ओमेक्स हाईट, विभूति खण्ड, गोमतीनगर	राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी
17	डा० अमित कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार गुप्ता (रजि०नं० 53200025342) ओ०बी०सी०	पता-एस०-1/3 के०-5 गिलट बाजार, गौतम ग्रीन पार्क, चुष्पेपुर, वाराणसी-221002	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
18	डा० धनजय कुमार वर्मा पुत्र श्री राम प्रवेश वर्मा (रजि०नं० 53200012639) ओ०बी०सी०	ग्राम-धरहरा पोस्ट-कुम्हिला, बलिया, उ०प्र०-277301	राजकीय मेडिकल कालेज, बौदा
19	डा० विनोद कुमार पुत्र श्री रमाकान्त (रजि०नं० 53200012685) ओ०बी०सी०	रूम नं०-418 रेजीडेंट हास्टल, के०जी०एम०यू०, लखनऊ	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
20	डा० इन्द्रमणि प्रकाश पुत्र श्री श्रीराम (रजि०नं० 53200018485) अनु०जाति	एम०आई०जी० -6/209 आवास विकास कालोनी, योजना तीन, झुंसी प्रयागराज	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
21	डा० मोना राजपूत पुत्री स्व० श्री सहदेव सिंह (रजि०नं० 53200028057) अनारक्षित	पता-बी०सी०-4 बृजपुरी होम भरत बिहार कालोनी, बिजनौर 246701	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ
22	डा० सूर्य कमल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र (रजि०नं० 53200009469) अनु०जाति	फ्लैट नं०-201 समृद्धि कोर्ट 100 फीट रोड, अवधपुरी, बोदला, आगरा	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा


 (एस०पी०सिंह)
 अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 635 / 71-1-2021-जी-103 / 2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021
विज्ञप्ति / नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में एम0ओ0एच0 कम सहायक आचार्य (आर0एच0टी0सी0) विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या: 30 / 22 / डी0आर0 / सेवा-8 / 2019-20 दिनांक 06.11.2020 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल सलंगन सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 05 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
 - (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे:-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न हों तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न हों अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न हों के संबंध में शपथपत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
- 3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- जिन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: उपरोक्त तद्दिनोंक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर एवं प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर एवं प्रयागराज।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर एवं प्रयागराज।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एस०पी०सिंह)

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:एम०ई०-2/2021/1273-74

लखनऊ : दिनोंक 20 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर एवं प्रयागराज।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।

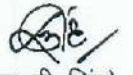


(के०के०गुप्ता)

महानिदेशक

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 635 /71-1-2021-जी-103/2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

क.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम /रजि०नं०/ श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा० अंकिता वाजपेयी पत्नी डा० पंकज अवरधी (रजि०नं० 53200038559) अनारक्षित	117/के०/132 ए०एम०पी०एस गीतानगर, कानपुर	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
2	डा० विशाल अग्रवाल पुत्र श्री रामकुमार अग्रवाल (रजि०नं० 53200037189) अनारक्षित	ए०/49 आवास विकास कालोनी नंदनपुरा, झाँसी-284003	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
3	डा० अभिषेक तिवारी पुत्र श्री रमेश तिवारी (रजि०नं० 53200023566) अनारक्षित	ग्राम-चार घाट पोस्ट- उमरावगंज, आरा भोजपुर, बिहार-802351	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
4	डा० गगन गर्ग पुत्र श्री अरविन्द कुमार (रजि०नं० 53200023724) अनारक्षित	106 जोशीवारा, देवबंद, जिला सहारनपुर-247514	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर
5	डा० श्रद्धा मिश्रा पत्नी डा० विजेन्द्र कुमार तिवारी (रजि०नं० 53200023982) अनारक्षित	पुलिस स्टेशन के पीछे रामकोला, कुशीनगर	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज


(एस०पी०सिंह)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 630/71-1-2021-जी-103/2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021
विज्ञापित/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, आर्ब्स एण्ड गायनी विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या: 13/05/डी0आर0/सेवा-8/2019-20 दिनांक 15.01.2021, पत्र संख्या 13 (1)/05/डी0आर0/सेवा-8/2019-20, दिनांक 28.01.2021 एवं पत्र संख्या 13 (11)/05/डी0आर0/सेवा-8/2019-20 दिनांक 03.03.2021 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 12 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
 - (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे:-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न हों तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न हों अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथपत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
- 3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- जिन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: उपरोक्त तददिनोंक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, मेरठ, कन्नौज, जालौन, आगरा तथा बदायूँ।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, मेरठ, कन्नौज, जालौन, आगरा तथा बदायूँ।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, मेरठ, कन्नौज, जालौन, आगरा तथा बदायूँ।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एस०पी०सिंह)

अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या: एम०ई०-२/२०२१/१२६३-६५

लखनऊ : दिनोंक २० अप्रैल, २०२१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, मेरठ, कन्नौज, जालौन, आगरा तथा बदायूँ।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।



(के०के०मुप्ता)

महानिदेशक

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 630 /71-1-2021-जी-103/2018

लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

क. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम /रजि0नं0/ श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा0 अमृता सक्सेना पत्नी डा0 रजत कुमार (रजि0नं0 53200010128) अनारक्षित	कुमार उपचार केन्द्र कैंन्ट थाना के पास 33 कसया रोड, बेतिया हाता, गोरखपुर	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर
2	डा0 अर्पिता पुत्री श्री ओम प्रकाश सिंह (रजि0नं0 53200026794) अनारक्षित	99-1 अशोक नगर कालोनी, बसारतपुर, गोरखपुर-273004	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
3	डा0 शालिनी सिंह पत्नी श्री आदेश कुमार सिंह (रजि0नं0 53200042154) अनारक्षित	13/15 मालवीय रोड, जार्ज टाउन, प्रयागराज-211002	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज
4	डा0 नताशा त्यागी पुत्री डा0 प्रदीप त्यागी (रजि0नं0 53200009201) अनारक्षित	मकान नं0-67 एफ0 ब्लॉक सेक्टर-14 रोहिणी दिल्ली-110085	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ
5	डा0 रुचि वर्मा पुत्री श्री दुर्ग विजय सिंह (रजि0नं0 53200028835) अनारक्षित	ग्राम-जनेतपुर पोस्ट-जैतापुर जनपद-औरैया, उ0प्र0-	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
6	डा0 मनु शुक्ला पत्नी श्री पियूष कान्त पाण्डेय (रजि0नं0 53200006888) अनारक्षित	बी-3/293 विशाल खण्ड-3, गोमतीनगर, लखनऊ	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
7	डा0 कीर्ति धुरिया पत्नी डा0 रविकान्त (रजि0नं0 53200012861) अनारक्षित	60 सुभाष नगर, भेल झॉसी - 284120	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
8	डा0 नीलम सिंह पत्नी डा0 भूपेन्द्र चौधरी (रजि0नं0 53200046594) अनारक्षित	21 शंकर सदन, आदर्श नगर, अर्जुननगर, आगरा-282001	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा
9	डा0 मनीषा केशव पत्नी श्री ललित कुमार (रजि0नं0 53200005807) अनु0 जाति	23/211 प्रकाश नगर, गली नं0-2 तेल मिल रोड, टुण्डला, फिरोजाबाद-283204	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं
10	डा0 प्रियंका यादव पत्नी आनन्द कुमार यादव (रजि0नं0 53200006666) ओ0बी0सी0	12, 13 शान्ति भवन, प्रभातपुरम, पोस्ट राजाजीपुरम, लखनऊ	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
11	डा0 सिखा सहाय पत्नी डा0 अभिनव प्रकाश आर्या (रजि0नं0 53200029825) अनु0जाति	एस0-25/21 डी0आर0ए0 सरसौली, अर्दली बाजार, वाराणसी-221002	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज
12	डा0 सुभान्गी सोनकर पुत्री श्री महेन्द्र प्रसाद सोनकर (रजि0नं0 53200030706) अनु0जाति	81/92 हिम्मतगंज, प्रयागराज, उ0प्र0-211016	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज


(एस0पी0सिंह)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 633/71-1-2021-जी-103/2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021
विज्ञापित/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, आपथलमोलोजी विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के पत्र संख्या: 15/07/डी०आर०/सेवा-8/2019-20 दिनांक 08.01.2021 एवं पत्र संख्या 15 (1)/07/डी०आर०/सेवा-8/2019-20 दिनांक 30.01.2021 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 05 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू० 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
 - (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे:-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न हों तथा मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन न हों अथवा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न हों के संबंध में शपथपत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न हों का प्रमाण पत्र।
- 3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्रावृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- जिन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

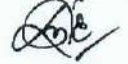
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: उपरोक्त तददिनोंक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, बदायूँ, आगरा एवं कन्नौज।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, बदायूँ, आगरा एवं कन्नौज।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, बदायूँ, आगरा एवं कन्नौज।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एस०पी०सिंह)

अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या: एम०ई०-2/2021/1269-70

लखनऊ : दिनोंक 20 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, बदायूँ, आगरा एवं कन्नौज।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।



(के०के०गुप्ता)

महानिदेशक

कार्यालय झाप संख्या: 633/71-1-2021-जी-103/2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

कं.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम /रजि०नं०/ श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा० सुरभि अग्रवाल पत्नी डा० विवेक सिंह (रजि०नं० 53200045115) अनारक्षित	2/881 विजय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर
2	डा० नम्रता पटेल पुत्री श्री श्याम किशोर (रजि०नं० 53200004491) अनारक्षित	वार्ड नं०-17 राजेन्द्र नगर, पुखराया, कानपुर देहात-209111	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर
3	डा० अमृता वाजपेयी पत्नी डा० वशिष्ठ मिश्रा (रजि०नं० 53200011242) अनारक्षित	980/50 राधेश्याम इन्कलेव विकास भवन के पीछे, बरेली	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ
4	डा० पिकी वर्मा पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार दोनेरिया (रजि०नं० 53200003951) अनु० जाति	808 सेक्टर-5 आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा -282007	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा
5	डा० अरुण कुमार सिंह पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह (रजि०नं० 53200037994) ओ०बी०सी०	नाथ पुरा कालोनी, कलेक्टरगंज, फतेहपुर, उ०प्र०	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज


(एस०पी०सिंह)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 631/71-1-2021-जी-103/2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021
विज्ञप्ति/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, आर्थोपेडिक्स विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के पत्र संख्या: 26/18/डी०आर०/सेवा-8/2019-20 दिनांक 15.01.2021, पत्र संख्या 26(1)/18/डी०आर०/सेवा-8/2019-20, दिनांक 28.01.2021, पत्र संख्या 26(11)/18/डी०आर०/सेवा-8/2019-20 दिनांक 04.02.2021 एवं पत्र संख्या 26(111)/18/डी०आर०/सेवा-8/2019-20 दिनांक 03.03.2021 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 18 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्द्री पे-रू० 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
 - (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे:-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न होने तथा मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथपत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
- 3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद् के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- जिन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, आजमगढ़, कन्नौज, जालौन, बौदा एवं झॉंसी।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, आजमगढ़, कन्नौज, जालौन, बौदा एवं झॉंसी।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, आजमगढ़, कन्नौज, जालौन, बौदा एवं झॉंसी।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एस०पी०सिंह)

अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या: एम०ई०-२/२०२१/१२६५-६६

लखनऊ : दिनांक २० अप्रैल, २०२१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, आजमगढ़, कन्नौज, जालौन, बौदा एवं झॉंसी।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।



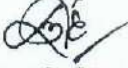
(के०के०गुप्ता)

महानिदेशक

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 631 /71-1-2021-जी-103/2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

क.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम /रजि0नं0/ श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा0 आलोक राय पुत्र श्री राकेश राय (रजि0नं0 53200032704) अनारक्षित	2/3/4एस0 रिकाबगंज, अयोध्या	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
2	डा0 रजत कपूर पुत्र श्री सर्व प्रकाश कपूर (रजि0नं0 53200024714) अनारक्षित	96, 97 भरतपुर हाउस सिविल लाईन्स आगरा-282002	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा
3	डा0 वासू शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (रजि0नं0 53200043773) अनारक्षित	25 आवास विकास कालोनी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश-246701	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ
4	डा0 नवीन कुमार सिंह पुत्र श्री द्वारिका सिंह (रजि0नं0 53200022822) अनारक्षित	बी0-213 बीना कालोनी, एन0सी0एल0 बीना प्रोजेक्ट, सोनभद्र	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज
5	डा0 हर्ष प्रताप सिंह पुत्र श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह (रजि0नं0 53200020666) अनारक्षित	26 बाल बिहार एक्सटेंशन इन्दिरानगर, लखनऊ-226015	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर
6	डा0 कृतेश पुत्र श्री राघवेन्द्र कुमार मिश्रा (रजि0नं0 53200034784) अनारक्षित	सी0-89/6 एन0ए0पी0एस0 टाऊनशिप नरौरा बुलन्दशहर-203389	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ
7	डा0 विवेक कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री विजय कुमार श्रीवास्तव (रजि0नं0 53200001263) अनारक्षित	ग्राम-लेडुवा, टी0पी0 नगरा, सूरूपुर, सुलतानपुर-228161	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
8	डा0 सौरभ कुमार पुत्र श्री सुधीर राय (रजि0नं0 53200012083) अनारक्षित	991, नराही-2, खमीरपुर, जनपद बलिया-277001	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
9	डा0 प्रेम प्रकाश वाजपेयी पुत्र श्री बुद्धराम वाजपेयी (रजि0नं0 53200004172) अनारक्षित	ग्राम-वाजपेयी पुरवा पोस्ट कपूर पुर जिला बहराईच-271824	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
10	डा0 सन्तोष कुमार सिंह पुत्र बाबू नन्दन सिंह (रजि0नं0 53200004312) अनारक्षित	सीनियर डाक्टर रेजीडेंट हास्टल-205 यू0पी0यू0एम0एस0 सैफई, इटावा - 206130	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
11	डा0 चेतन सिंह पुत्र श्री उमा शंकर कुरील (रजि0नं0 53200029287) अनारक्षित	बी0-28 एल्लिको कालोनी, कल्याणपुर, कानपुर-209217	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर
12	डा0 हितेन्द्र कुमार भारतीय पुत्र श्री हरिशंकर भारतीय	मोहल्ला सोतियान नियर माई जी का मठ पोस्ट-बिजनौर	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ

क.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम /रजि०नं०/ श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
	(रजि०नं० 53200001078) अनारक्षित	जिला-बिजनौर-246701	
13	डा० रविकान्त पुत्र श्री हरि सिंह (रजि०नं० 53200017121) अनु०जाति	गली नं०-4 नया नगला, मथुरा	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा
14	डा० रवीन्द्र मोहन पुत्र श्री रमाकान्त (रजि०नं० 53200026606) अनु०जाति	पता-हाउस नं०-43 एल्लिको सौर्य, बिजनौर रोड, लखनऊ 226002	राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी
15	डा० चन्द्रशेखर वर्मा पुत्र श्री श्यामलाल वर्मा (रजि०नं० 53200031574) ओ०बी०सी०	बी-1/972 रतन खण्ड, शारदानगर, रायबरेली रोड, लखनऊ-226012	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर
16	डा० राज कपूर पुत्र श्री राम कुमार मौर्य (रजि०नं० 53200042774) ओ०बी०सी०	सी०-401साई अपार्टमेन्ट, आश्रम रोड, अनौरा, लखनऊ 226028	राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा
17	डा० आनन्द कुमार पुत्र स्व० श्री गिरजा प्रसाद (रजि०नं० 53200022619) ओ०बी०सी०	प्लॉट नं०-10/433 फ्लैट नं०-605 खलासी लाईन, रतन शान्ती अपार्टमेन्ट, कानपुर-208001	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज
18	डा० बृज मोहन पटेल पुत्र श्री हरिश् चन्द्र पटेल (रजि०नं० 53200045753) ओ०बी०सी०	ग्राम-चूड़ामनपुर पोस्ट-भूलनपुर (पी०ए०सी०) जिला वाराणसी- 221108	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर


 (एस०पी०सिंह)
 अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 641 /71-1-2021-जी-103/2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021
विज्ञापित/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, पीडियाट्रिक्स विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के पत्र संख्या:32/24/डी०आर०/सेवा-8/2019-20, दिनांक 06 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या:32(1)/24/डी०आर०/सेवा-8/2019-20, दिनांक 30 जनवरी, 2021 एवं पत्र संख्या:32(2)/24/डी०आर०/सेवा-8/2019-20, दिनांक 04.02.2021 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 19 अभ्यर्थियों को वेतन एकैडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू० 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगे:-
 - (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न हों तथा मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन न हों अथवा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न हों के संबंध में शपथपत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न हों के प्रमाण पत्र।
- 3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- जिन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: उपरोक्त तददिनांक

- प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
 2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
 3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
 4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, अम्बेडकरनगर, मेरठ, कन्नौज, झाँसी, आजमगढ़ एवं बदायूँ।
 5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, अम्बेडकरनगर, मेरठ, कन्नौज, झाँसी, आजमगढ़ एवं बदायूँ।
 6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, अम्बेडकरनगर, मेरठ, कन्नौज, झाँसी, आजमगढ़ एवं बदायूँ।
 7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
 8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
 9. गाई फाइल।

आज्ञा से,



(एस०पी०सिंह)

अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:एम०ई०-2/2021/1277-78

लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2021

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, अम्बेडकरनगर, मेरठ, कन्नौज, झाँसी, आजमगढ़ तथा बदायूँ।
 2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।



(के०के०गुप्ता)
महानिदेशक

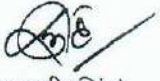
कार्यालय ज्ञाप संख्या: 641

/71-1-2021-जी-103/2018

लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

क.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/रजि0नं0/श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है।
1	डा0 अजीत कुमार यादव पुत्र श्री रमा शंकर यादव (रजि0नं0 53200007577) अनारक्षित	1/95 विश्वास खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ- 226010	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज
2	डा0 शाहिद अख्तर सिद्दीकी पिता का नाम श्री रईस अहमद सिद्दीकी (रजि0नं0 53200042622) अनारक्षित	156 बी/1 एल0 ग्रीन कालोनी शम्स नगर, करेली प्रयागराज-211016	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज
3	डा0 मधुबाला सिंह पुत्री स्व0 डा0 एम0 लाल (रजि0नं0 53200009724) अनारक्षित	फ्लैट नं0-602 डायसी टावर, पुष्पांजलि गार्डन, ए0 बी0 कालोनी, सेक्टर-16 बी0 सिकन्दरा, आगरा	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा
4	डा0 प्रतिभा सिंह पुत्री श्री शिव प्रताप सिंह (रजि0नं0 53200021957) अनारक्षित	436, पन्ना लाल पार्क, उन्नाव पिन-209801	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर
5	डा0 राहुल जायसवाल पुत्र श्री सीता राम जायसवाल (रजि0नं0 53200019192) अनारक्षित	119 ज्ञानपुर रोड़, गोपीगंज, भदोही-221303	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
6	डा0 मिथलेश कुमार पुत्र श्री छोटू प्रसाद (रजि0नं0 53200005472) अनारक्षित	137 प्रथम तल, रमेश नगर, दिल्ली-110015	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ
7	डा0 अभिलाषा रिमथ पुत्री डा0 एन0 आर0 रिमथ (रजि0नं0 53200015248) अनारक्षित	फ्लैट नं0-2 ब्लॉक बी0, फौकल्टी क्वार्टर के0डी0 मेडिकल कालेज, अकबरपुर, मथुरा-281406	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा
8	डा0 नवीन कुमार पुत्र श्री राम पहल सिंह (रजि0नं0 53200035127) अनारक्षित	ग्राम व पोस्ट-कोलाना, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज
9	डा0 रश्मिता मेहरोत्रा पुत्री श्री ललित किशोर मेहरोत्रा (रजि0नं0 53200040934) अनारक्षित	डी0एस0-11 निरालानगर, नियर आई0टी0 चौराहा, लखनऊ-226020	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
10	डा0 प्रभात भारद्वाज पुत्र श्री जगमोहन शर्मा (रजि0नं0 53200033633) अनारक्षित	बी-52 स्वर्ण जयन्तीपुरम, गाजियाबाद	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ
11	डा0 नूपुर पाण्डेय पत्नी श्री सौमित्र पाण्डेय (रजि0नं0 53200014674) अनारक्षित	1315 पाण्डेय डेयरी फार्म, खाटी बाबा, झोंसी	राजकीय मेडिकल कालेज, झोंसी
12	डा0 अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुभाष चन्द्र (रजि0नं0 53200013921) ओ0बी0सी0	ग्राम रावीपुर बहादूदीनपुर, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर

क.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/रजि०नं०/ श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है।
13	डा० विनीत कुमार सिंह पुत्र श्री बनवारी सिंह (रजि०नं० 53200003395) ओ०बी०सी०	मकान नं० 431/सेक्टर 11, विकासनगर, लखनऊ	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर
14	डा० अमित गुप्ता पुत्र श्री छेदीलाल गुप्ता (रजि०नं० 53200008169) ओ०बी०सी०	ग्राम देल्हपुर पोस्ट भिखनापुर जिला प्रतापगढ़-230404	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
15	डा० मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री रमाकान्त सिंह (रजि०नं० 53200023654) ओ०बी०सी०	ग्राम अल्लूपुर पोस्ट पिरसुइ (अमिला) जिला मऊ, उ०प्र०-275301	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ
16	डा० कुलदीप सिंह पुत्र श्री राधेश्याम सिंह (रजि०नं० 53200029898) अनु० जाति	मो० विशुनपुरवा पोस्ट-कूड़ाघाट, जिला गोरखपुर--	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
17	डा० विवेक चौधरी पुत्र दलीप सिंह (रजि०नं० 53200015725) ओ०बी०सी०	62/10, परशुरामनगर, शाहगंज, आगरा-282010	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा
18	डा० विमलेश कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल (रजि०नं० 53200013939) अनु० जाति	बी-589, द्वितीय तल, सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली, 110015	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ
19	डा० प्रियंका आर्या पुत्री श्री कालीचरन (रजि०नं० 53200006107) अनु० जाति	124, आराधना इण्डिको कालोनी, उद्यान-1, लखनऊ-226002	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज


 (एस०पी०सिंह)
 अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 634/71-1-2021-जी-103/2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021
विज्ञापित/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, प्लास्टिक सर्जरी विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के पत्र संख्या:39(1)/31/डी०आर०/सेवा-8/2019-20 दिनांक 04.02.2021 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 01 अभ्यर्थी को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू० 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निवन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
 - (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे:-

- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न हों तथा मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन न हों अथवा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न हों के संबंध में शपथपत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
- 3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्रावृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- जिन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एस०पी०सिंह)

अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या: एम०ई०-२/२०२१/१२७१-७२

लखनऊ : दिनांक २० अप्रैल, २०२१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।



(के०के०गुप्ता)

महानिदेशक

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 634 / 71-1-2021-जी-103 / 2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

क. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम /रजि०नं०/ श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा० नवीन कुमार पुत्र श्री मनोरथ प्रसाद ममगेन (रजि०नं० 53200024219) अनारक्षित	डी०-107 प्रतीक , लॉरेल, सेक्टर 120 नोएडा-201301	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा


(एस०पी०सिंह)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 636/71-1-2021-जी-103/2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021
विज्ञप्ति/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, रेडियोथेरेपी विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या 23 (1)/15/डी0आर0/सेवा-8/2019-20, दिनांक 15.10.2020 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 03 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- (3840) (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- Mo-II (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- 19/04/21 (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे:-
 - (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न हों तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न हों अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न हों के संबंध में शपथपत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न हों का प्रमाण पत्र।
- 3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- जिन वयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन एवं कन्नौज।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन एवं कन्नौज।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन एवं कन्नौज।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(एस०पी०सिंह)
अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:एम०ई०-२/२०२१/१२८७-८८

लखनऊ : दिनांक २० अप्रैल, २०२१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

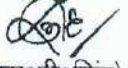
1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन एवं कन्नौज।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।



(के०के०गुप्ता)
महानिदेशक

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 636 / 71-1-2021-जी-103 / 2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

कं. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम / रजि० नं० / श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती गयी है
1	डा० फरहान अहमद पुत्र श्री निहाल अहमद (रजि० नं० 532000042525) अनारक्षित	मकान नं० 66/20 लोहियानगर छितवापुर खास, लखनऊ-226001	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
2	डा० रेशम श्रीवारत्तव पत्नी डा० पुनीत प्रकाश (रजि० नं० 53200024486) अनारक्षित	हाउस नं०-5 डी० ब्लाक श्याम नगर, कानपुर-208013	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
3	डा० सिद्धार्थ कुमार पुत्र श्री राकेश बाबू (रजि० नं० 53200035622) अनु० जाति	पता-419 आवास विकास मैनपुरी पिन-205001	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज


(एस० पी० सिंह)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 639 / 71-1-2021-जी-103 / 2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021
विज्ञप्ति / नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, रिकन एण्ड वीडो विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या: 14(11)/06/डी0आर0/सेवा-8 / 2019-20, दिनांक 28.10.2020 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 01 अभ्यर्थी को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्द्री पे-रू0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
 - (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगे:-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न होने तथा मा10 न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा10 न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथपत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
- 3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- जिन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: उपरोक्त तददिनॉक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एस०पी०सिंह)

अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या: एम०ई०-2/2021/1281-82

लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।

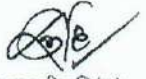


(के०के०गुप्ता)

महानिदेशक

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 639 /71-1-2021-जी-103/2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम /रजि०नं०/ श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा० ईशा सिंह पत्नी हिमांशू यादव (रजि०नं० 53200022169) अनारक्षित	1/345 विराट खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा


(एस०पी०सिंह)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 638 / 71-1-2021-जी-103 / 2018
लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2021
विज्ञप्ति/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, टी0बी0 एण्ड चेस्ट विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या: 21/13/डी0आर0/सेवा-8/2019-20, दिनांक 06.11.2020 एवं पत्र संख्या 21(1)/13/डी0आर0/सेवा-8/2019-20, दिनांक 28.01.2021 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 06 अभ्यर्थियों को वेतन एकेडमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अर्तगत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अर्तगत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- 2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे:-
 - (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
 - (2) अभियोजन लम्बित न होने तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथपत्र।
 - (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
- 3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- जिन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त है, प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या: उपरोक्त तददिनॉक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बौदा, आजमगढ़, आगरा, कानपुर, अम्बेडकरनगर एवं बदायूँ।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बौदा, आजमगढ़, आगरा, कानपुर, अम्बेडकरनगर एवं बदायूँ।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बौदा, आजमगढ़, आगरा, कानपुर, अम्बेडकरनगर एवं बदायूँ।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एस०पी०सिंह)

अनु सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:एम०ई०-२/२०२१/१२८३-८४

लखनऊ : दिनॉक २० अप्रैल, २०२१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बौदा, आजमगढ़, कानपुर, आगरा, अम्बेडकरनगर एवं बदायूँ।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।



(के०के०गुप्ता)

महानिदेशक

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 638

/71-1-2021-जी-103/2018

लखनऊ: दिनांक 9 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

क.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम /रजि०नं०/ श्रेणी	पत्राचार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहाँ तैनाती की गयी है
1	डा० अभिषेक सिंह पुत्र श्री श्याम लाल सिंह (रजि०नं० 53200002387) अनारक्षित	44 सी० लाउदर रोड़, जार्ज टाउन, प्रयागराज	राजकीय मेडिकल कालेज, बोंदा
2	डा० मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र श्री कन्हैया लाल पाण्डेय (रजि०नं० 53200029126) अनारक्षित	मकान नं०-11 ग्राम व पोस्ट सरसरा, जिला जौनपुर-222162	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
3	डा० सचिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द्र (रजि०नं० 53200042473) अनारक्षित	गौशाला के सामने, टाउन कुम्हेर जिला-भरतपुर, राजस्थान-321201	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा
4	डा० लक्ष्मी देवी पुत्री राम प्रसाद (रजि०नं० 53200027067) अनारक्षित	एस०डी०एम० कालोनी, माफी चित्रकूट, कर्वा- 210205	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर
5	डा० सुलक्षणा गौतम पुत्री श्री बाबू लाल गौतम (रजि०नं० 53200000389) अनुसूचित जाति	2/52 आवास विकास कालोनी, बाराबंकी, उ०प्र०-225001	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
6	डा० कोमल लोहचब पत्नी डा० विवेक चौधरी (रजि०नं० 53200015673) ओ०बी०सी०	62/10 परशुराम नगर, शाहगंज, आगरा	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ

(एस०पी०सिंह)
अनु सचिव